महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त **Accredited with 'A' Grade by NAAC**

ज्ञान शांति मैत्री

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02 / 2025 / 98
दिनांक : 08.04.2025

कार्यालयादेश

कुलानुशासक मण्डल की दिनांक 01 एवम् 02 अप्रैल, 2025 को सम्पन्न बैठक में पारित अनुशंसाओं तथा विश्वविद्यालय परिसर में निवासरत शिक्षकों एवम् शिक्षकेतर कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में, विश्वविद्यालय परिसर के आवासीय क्षेत्रों में आवागमन सम्बन्धी निम्नलिखित व्यवस्थाएँ तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं :

1. सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास से फादर कामिल बुल्के अन्तरराष्ट्रीय छात्रावास मार्ग पर रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक छात्रावासों के अन्तेवासियों के दोपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित रहेगी। उक्त अवधि में आवश्यकतानुसार प्रेमचन्द मार्ग का उपयोग आवागमन हेतु किया जा सकता है।
2. कर्मचारियों के सन्तानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिनव गुप्त संकुल से होकर गुज़रने वाले बाइपास मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित की जाती है।
3. पुरुष छात्रावासों के अन्तेवासियों का रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक छात्रावास से बाहर जाना पूर्ववत् प्रतिबन्धित रहेगा। यदि इस अवधि में तर्कसङ्गत कारणवश अथवा चिकित्सकीय आवश्यकता के कारण छात्रावास से बाहर जाना अपरिहार्य हो, तो सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अन्तेवासियों को मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी के पास उपलब्ध पंजिका में निर्गमन तथा पुनः प्रवेश का समय सुस्पष्ट रूप से अंकित कर हस्ताक्षर करने होंगे।
4. विश्वविद्यालय के सभी प्रवेश द्वार रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बन्द रहेंगे तथा केवल उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार ही खोले जाएँगे।
5. छात्रावास परिसर में विश्वविद्यालय के पूर्व–विद्यार्थियों सहित गैर–आवण्टित विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा प्रेषित) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक एवम् केन्द्र निदेशक
3. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
4. कुलानुशासक
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
6. परीक्षा नियन्त्रक (कार्यवाहक)
7. वित्ताधिकारी (कार्यवाहक)
8. समस्त छात्रावास अधीक्षक
9. सहायक क्षेत्रीय निदेशक (अकादमिक)
10. प्रभारी, लीला – वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सुरक्षा अधिकारी
12. 011/2024-25/सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त शिकायत से संबंधित प्रकरण/32
13. पत्रावली क्रमांक : 011/2024-25/सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त शिकायत से संबंधित प्रकरण/32
14. सम्बन्धित पत्रावली